समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

—: आदेश :—

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक—49 (स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक—02.07.2015 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत —उपमुख्य शीर्ष 06— भूकम्प, लघु शीर्ष—101— अनुग्रहित राहत, उप शीर्ष — 0002 — निःसहायय एवं विकलांगों को नगद अनुदान, विपत्र कोड एन0—2245061010002 मद में मो0—4,000/— (चार हजार) रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को संबंधित अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय/पदाधिकारी को उपावंटित किया जाता है :—

क0 सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में प्राप्त आवंटन	वर्तमान में प्राप्त आवंटन	कुल उपावंटित राशि
01	अंचल अधिकारी, चौसा	शून्य	4,000/—	4,000/—
	कुल योग :—	—	**4,000/—**	**4,000/—**

उपावंटन की शर्तें :—

(1) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015—16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत —उपमुख्य शीर्ष 06— भूकम्प, लघु शीर्ष—101— अनुग्रहित राहत, उप शीर्ष — 0002 — निःसहायय एवं विकलांगों को नगद अनुदान, विपत्र कोड एन0—2245061010002 यूनिट कोड —31 06 सहायक अनुदान— वेतनादि के अलावा विभागीय स्वीकृतियादेश सं0—1814/आ0प्र0, दिनांक—18.05.2015 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की राशि से विकलनीय होगा।

(2) यह आवंटन दिनांक—25, 26 एवं 27 अप्रैल, 2015 को आये भूकम्प के फलस्वरूप मुफ्त सहायय अनुदान के रूप में वितरित राशि का अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

(3) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

(4) उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully vouched bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण—पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(5) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष — लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाए। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए अनयथा आंकड़ें के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(6) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक—2561 [वि0 (2) दिनांक—17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किए गए विपत्र /विपत्रों के उपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000—आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष—..............., उपमुख्य शीर्ष—................, लघु शीर्ष—..................., उप शीर्ष—.................... " अंकित कराया जाए।

(7) व्यय के तुरंत बाद टी0भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी / उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(8) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15–03–2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/–

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक : 452 आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 21.7.15

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

21.7.15

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।